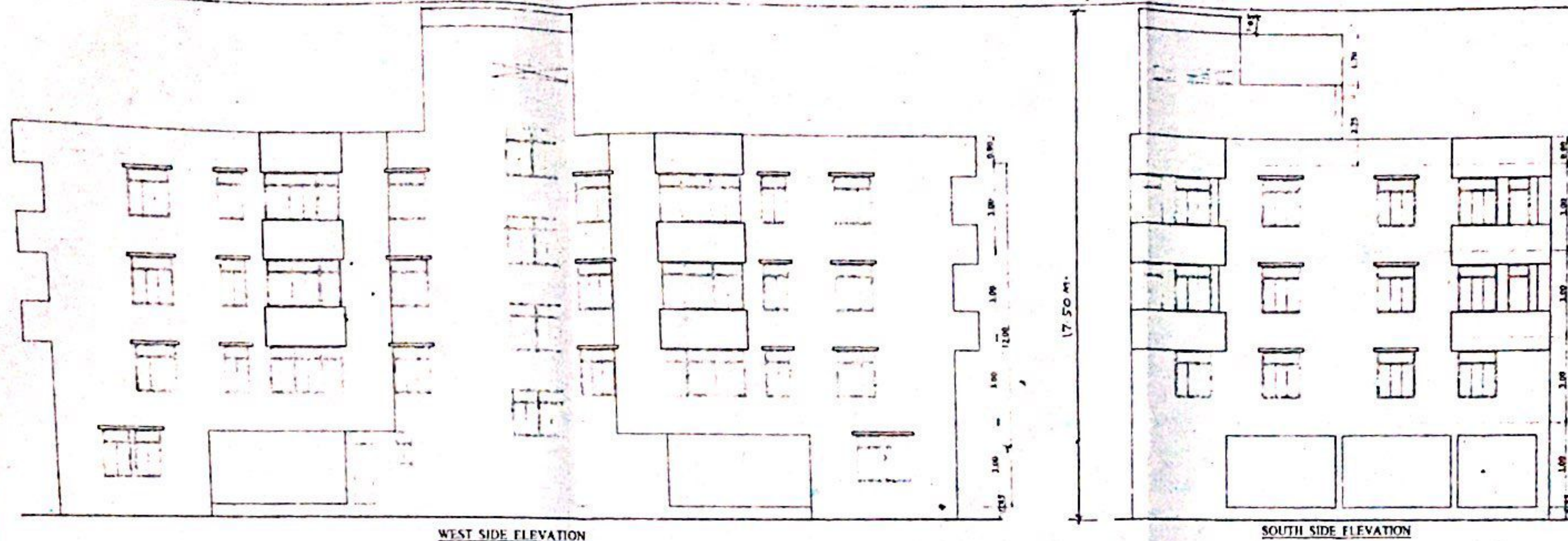
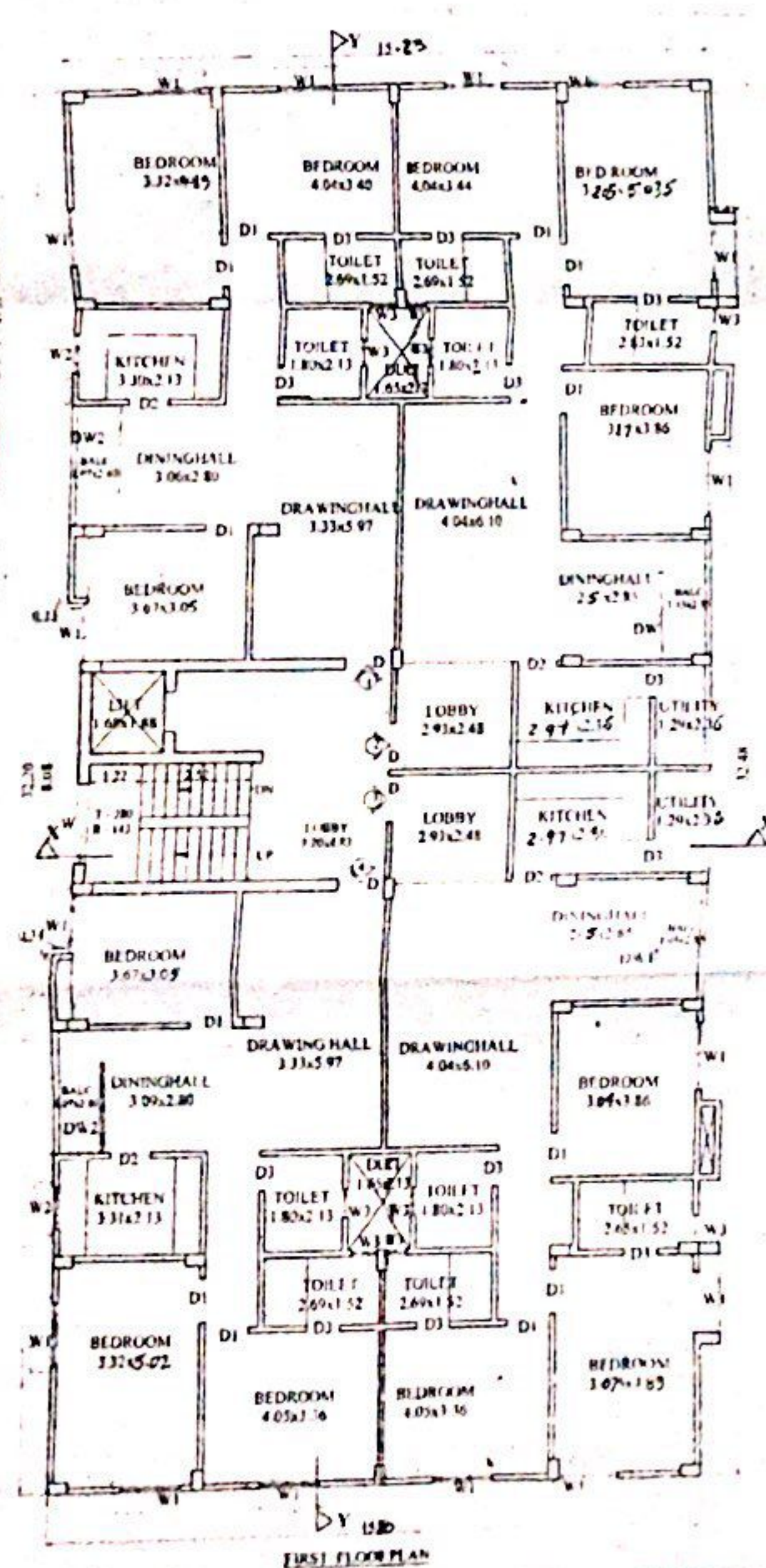


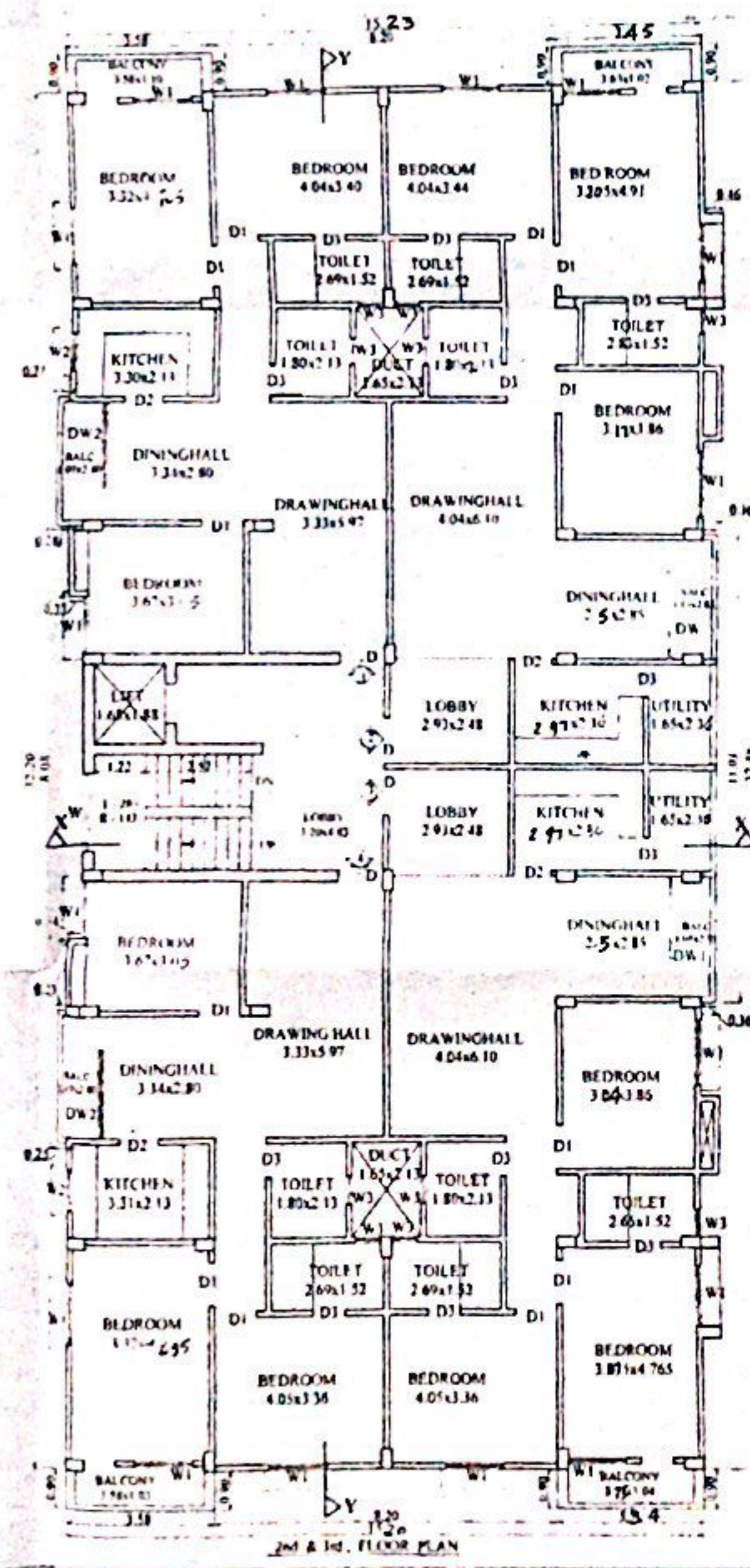


WEST SIDE ELEVATION

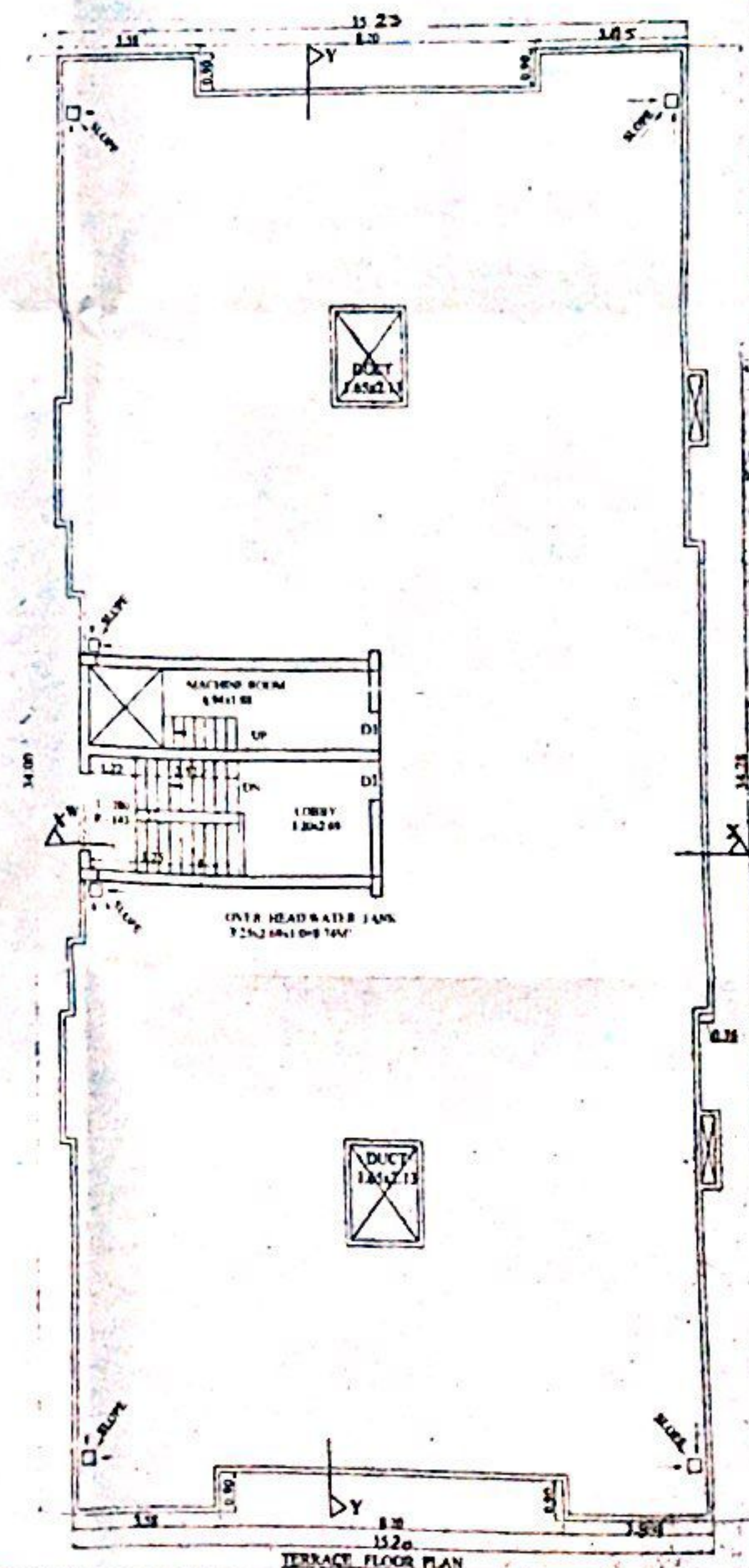
SOUTH SIDE ELEVATION



FIRST FLOOR PLAN



2ND & 3RD FLOOR PLAN



TERRACE FLOOR PLAN

- SPECIFICATION**
1. R.C.C. UNDER REINFORCED CONCRETE OF 150 MM THICK.
 2. 1ST CLASS BRICK WORK IN BUTTER STRUCTURE WITH CEMENT MORTAR (1:4:8) & (1:4:2) IN 1:1 & 1:2 THICK.
 3. 150 TIL LINTEL BEAM PROVIDED ALL OVER DOOR & WINDOWS OPENING.
 4. HEIGHT OF PLINTH & FLOOR INDICATED IN SECTION.
 5. 600 TH MOSAIC FLOORING OVER 0.15 TH DRY BEAMED KNOX LINTEL.
 6. 800 TH F.B.S. OVER SAND FILLING.
 7. 12 MM TH LIME TERRACING OVER 0.100 TH R.C.C. SLAB.
 8. 12 MM TH CEMENT PLASTER ON BOTH SIDES OF WALL.
 9. ALL DOORS WILL BE SAL WOOD FRAME & ALL WINDOWS WILL BE GLAZED WITH STEEL FRAMES.
 10. 5000 CM CEMENT PAINT ON THE EXTERNAL WALL & WHITE WASH IN SIDE.

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

S.NO.	TYPE	WIDTH	HEIGHT	NO.	NO.	DESCRIPTION
1	DW	2450	2150	00	2150	
2	DW1	2450	2150	00	2150	
3	DW2	2450	2150	00	2150	
4	D	1070	2100	00	2100	FLUSH DOOR
5	D1	95	2100	00	2100	DO
6	D2	95	2100	00	2100	DO
7	D3	95	2100	00	2100	DO
8	W	1825	1650	00	2150	GLAZED WINDOW
9	W1	1375	1650	00	2150	DO
10	W2	915	1650	00	2150	DO
11	W3	410	1650	00	2150	DO

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING FOR
SHRI AKHIL CHANDRA SAHAY & ARVIND SAHAY BOTH
SONS OF LATE PANDEY ANJAN KISHORE SAHAY
OVER PLOT NO - 1443(P), 1444(P) & 1445(P),
KHATA NO - 45 & 54, THANA NO - 9, TAUKI NO - 5607,
MAUZA - SHEKUPURA, LBS MARG,
SITUATED AT - RAIBANSI-NAGRI-PATNA

ALL DIMENSIONS ARE IN METRE

SCALE	NORTH	SHEET NO.
1:100		02

Akhil chandra
sahay
Arvind Sahay
SIGNATURE OF OWNERS

Shri Akhila Kishore
Sahay
LBS AR/02/15
SIGN OF REGISTERED
ARCHITECT/ENGINEER/DRAFTSMAN

SHATECHONA KUMAR
Structural Engineer
Registration No. 5845/16
Patna Municipal Corporation

PATNA MUNICIPAL CORPORATION
PROMOTIONAL DEVELOPMENT & HOUSING DEPARTMENT
PRN/6th Kp/2016/3015/15
Sanction of Plan Approval under Section 314,
315, 316 & 317 of the E. & M. Act 2007
by the Municipal Commissioner on...

26.5.16
SANCTION OF...
सत्यदेव सिंह
उप-निदेशक
राष्ट्रीय योजना
पटना नगर निगम



पटना नगर निगम

मौर्यलोक कम्पलेक्स, ब्लॉक-सी, द्वितीय तल्ला, पटना-800001

पत्र संख्या- 5883 /प0न0नि0

प्रेषक,

उप निदेशक,
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

श्री अखिल चन्द्रा एवं अन्य,
H.No-222 B, अनुसुईया अपार्टमेन्ट के सामने,
जे.डी.विमेन्स. कॉलेज के बगल में,
शास्त्रीनगर, पटना, बिहार।

पटना, दिनांक-...28/08/2016 ई0।

विषय:- प्लान केस सं०-PRN/Shekhpura/G+3/15/2015 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन सं०-PRN/Shekhpura/G+3/15/2015 दिनांक-30.09.2015 के संदर्भ में श्री अखिल चन्द्रा एवं अन्य, शास्त्रीनगर, पटना के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के सर्वे प्लॉट सं०-1443 (अंश), 1444 (अंश) एवं 1445 (अंश), खाता सं०-45 एवं 54, थाना-शास्त्रीनगर, थाना सं०-09, मौजा-शेखपुरा, तौजी संख्या-5609, शास्त्रीनगर, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 400.95 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 06.05 मी० से 06.30 मीटर (औसतन 06.547 मीटर) चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन

अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों 00.00 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/ की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ) नक्शा की स्वीकृति के क्रम में आवश्यक दस्तावेजों में अमीन का सत्यापन प्रतिवेदन अनिवार्य दस्तावेज होता है। इसलिए आवेदक ने अपने दस्तावेजों में निजी अमीन द्वारा तैयार प्रतिवेदन संलग्न किया है। इसलिए भविष्य में निगम को अमीन की नियमित सेवा उपलब्ध होने पर वर्तमान संलग्न अमीन प्रतिवेदन के सत्यता की जाँच कराने पर किसी प्रकार की त्रुटि/अनियमितता पाये जाने की स्थिति में आवेदक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे तथा स्वीकृत नक्शा स्वतः रद्द समझा जायेगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन
5/12/2016
उप निदेशक,

शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

ज्ञापांक- 5883 /पटना, दिनांक- 28/10/2016 ई०।

प्रतिलिपि:- योजना की अनुमोदित प्रति के साथ विकास योजना/आयोजना प्राधिकार या किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ नगर निगमों/नगर परिषद्/नगर पंचायतों/महानगर क्षेत्र को सूचनार्थ अग्रसारित।

5/12/2016
उप निदेशक,

शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

ज्ञापांक- 5883 /पटना, दिनांक- 28/10/2016 ई०।

प्रतिलिपि:- नगर एवं क्षेत्रीय निवेशन संगठन, बिहार, पटना को अग्रसारित।

5/12/2016
उप निदेशक,

शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।